न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 5/2022
GCMS No. 2022/ 12

(Bank Case)

फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, (पूर्व में दिशा माइक्रोफिन लिमिटेड के नाम से ज्ञात) रजिस्टर्ड कार्यालय 301 एंव 306, 3rd फ्लोर, अभिजीत मेयर बंग्लो लॉ गार्डन रोड़, मीठाखली, अहमदाबाद–380006 गुजरात एवं शाखा कार्यालय– ग्राउंड फ्लोर, शॉप नंबर 2 एंव 3, ए–235 गुरू जम्भेशवर नगर, गॉधी पथ, कवीन्स रोड, अपोजिट नारायण गजक वाला, जयपुर–302021, व शाखा कार्यालय– इण्डस बैंक के पास, घोडे वाले बाबा चौराहा, गुमानपुरा, कोटा, राजस्थान में स्थित व कार्यरत है। जरिये प्राधिकृत अधिकारी निमित चतुर्वेदी।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. मुकेश पुत्र श्री रामदेव बंजारा (ऋणी / बंधककर्ता)
   पता– वार्ड नं. 04, ग्राम निमोदा हरिजी, तहसील दीगोद, जिला कोटा (राज.) – 325201
2. धन्नी बाई पत्नि श्री मुकेश (सह–ऋणी)
   पताः– वार्ड नं. 04, प्राथमिक विद्यालय के पास, ग्राम निमोदा हरिजी, तहसील दीगोद, जिला कोटा (राज.) – 325201

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री मुकेश शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 30-5--2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय 301 एंव 306, 3rd फ्लोर, अभिजीत, वी- लॉ गार्डन रोड़, मीठाखली, अहमदाबाद–380006, गुजरात एवं शाखा कार्यालय– ग्राउंड फ्लोर, शॉप नंबर 2 एंव 3, ए–235 गुरू जम्भेशवर नगर, गॉधी पथ, कवीन्स रोड, जयपुर–302021, राजस्थान में स्थित व कार्यरत है से अप्रार्थी सं. 1 लगायत 2 ने दिनांक 28.09.2018 को ऋण खाता संख्या 18660000140918 में रूपये 3,00,000/–(अक्षरेः रूपये तीन लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी संख्या 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **मुकेश पुत्र श्री रामदेव बंजारा की अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 6744, खसरा नं. 952, ग्राम निमोदा हरिजी, तहसील– दीगोद , जिला– कोटा , राजस्थान में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढ़ांचा, आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 694 वर्गफुट है, जिसकी चर्तु:सीमाएं पूरब में– मोहन लाल बंजारा का मकान , पश्चिम में– धन्ना लाल गुर्जर का मकान, उत्तर में– सुरेश शर्मा का मकान, दक्षिण में– आम रास्ता व दरवाजा स्थित है,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 09.01.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते मे बकाया राशि 3,34,612/—(अक्षरे रूपये तीन लाख, चोतीस हजार, छः सौ बारह मात्र) बकाया रकम दिनांक 25.05.2021 तक शेष देय है एवं इसके पश्चात आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 21.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये। इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 21.06.2021 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "प्रातःकाल" व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 31.08.2021 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राषि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेष फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 21.06.2021 को नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किये गये, उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "प्रातःकाल" व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 31.08.2021 को प्रकाशित करवाया गया। इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ऋणी/बंधककर्ता **मुकेश पुत्र श्री रामदेव बंजारा की अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 6744, खसरा नं. 952, ग्राम निमोदा हरिजी, तहसील— दीगोद , जिला— कोटा , राजस्थान में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढ़ांचा, आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षैत्रफल 694 वर्गफुट है, जिसकी चर्तु:सीमाएं पूरब में— मोहन लाल बंजारा का मकान , पश्चिम में— धन्ना लाल गुर्जर का मकान, उत्तर में— सुरेश शर्मा का मकान, दक्षिण में— आम रास्ता व दरवाजा स्थित है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 30.5.2022 को सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)